न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-108(GCMS2024-291)

हेमराज पुत्र मोमताराम विश्नोई
निवासी ग्राम एकलखोरी,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जालाराम पुत्र हरचंदराम विश्नोई
2. भोपालराम पुत्र हरचंदराम विश्नोई
3. मुकेशकुमार पुत्र हरचंदराम विश्नोई
4. मोतीराम पुत्र हरचंदराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम एकलखोरी,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार ओसियां
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 21 मई 2024 राजस्व वाद संख्या 21/2024 जालाराम व अन्य बनाम हेमराज आदि

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 26 नवम्बर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2024 जालाराम व अन्य बंनाम हेमराज आदि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 21 मई 2024 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 25 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 4 द्वारा आराजी खसरा संख्या 322/1 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 485/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 486 रकबा 4 बिस्वा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 487 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 654 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 657 रकबा 4 बिस्वा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 658 रकबा 22बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 724 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम एकलखोरी, खसरा संख्या 119 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 150 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 154 रकबा 43 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 1135 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1152 रकबा 88 बीघा 10 बिस्वा ग्राम मीनो की ढाणी के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत दावा पेश किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई 2024 को जरिये राजीनामा स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तरमीम व राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किये गये है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा गलत तौर पर प्रस्तुत किया गया है, वादग्रस्त आराजी बाबत वाद प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही आपसी सहमति से बंटवारा होकर म्युटेशन की कार्यवाही भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दावा धारा 11 सीपीसी के अनुसार रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद तथाकथित सहमति के आधार पर डिक्री कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में कोई जानकारी नही हो पायी, दिनांक 22 जुलाई 2024 को मौके रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि खुर्दबुर्द करने का प्रयास करने एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बताये जाने पर उसी दिन विचारण न्यायालय से नकलें प्राप्त कर आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दी गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट-प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य प्रकरण में निर्धारित विधिक प्रकिया, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 19 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार करते हुए स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि पूर्व में किया गया बंटवारा विधिक तौर पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

शून्य है क्योंकि समुचित विधिक जानकारी के अभाव में उक्त बंटवारा के साथ नक्शा मौके पर कब्जा काश्त से मेल नहीं खाता है और न ही नजरी नक्शा के संबंध में वादीगण-रेस्पो. के पिता को समझाया गया और न ही बंटवारे में पक्षकारान का हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार रखा गया है। गलत बंटवारे की जानकारी वादीगण-रेस्पो. को होने पर विचारण न्यायालय में दावा पेश किया गया, जो स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 21 मई 2024 के हाशियें पर अपीलाण्ट की सहमति सूचक अंगुष्ठ निशान भी उपलब्ध है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत अपीलाण्ट को समुचित समय में जानकारी होने के उपरान्त भी आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से पेश की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय में मूल वाद दिनांक 13 मार्च 2024 को संस्थित किया गया और प्रतिवादी के सम्मन जारी किये जाने के निर्देश दिये जाकर आगामी पेशी 21 मई 2024 नियत की गयी और आगामी तारीख पेशी दिनांक 21 मई 2023 की आदेशिका में "...अतः वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति के आधार वाद स्वीकार किया जाता है।..." अंकित करते हुए दावा स्वीकार कर और तहसीलदार ओसियां को वादग्रस्त आराजियात बाबत वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा व तालिका अनुसार वादी/प्रतिवादी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अलग तरमीम किये जाने एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये। विचारण न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ 47 पर उपलब्ध वादीगण की ओर से "प्रार्थनापत्र बाबत राजीनामा प्रस्तुत करने" उपलब्ध है, जिसमें पद संख्या दो में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना जाहिर किया गया है, मगर विचारण न्यायालय में विधिवत तस्दीकसुदा कोई राजीनामा उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत वादग्रस्त आराजियात के विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया, मगर विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बुंटवारा करने के लिए प्राथमिक डिकी जारी नहीं की गयी, कोई विभाजन प्रस्ताव तलब नहीं किये गये और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 19 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो कानूनी प्रावधानों एवं विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं पाये जाने से समर्थन योग्य नहीं है।

इन परिस्थितियों में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब बाबत नरम रूख अपनाते हुए अपील अन्दर मियाद-शुमार करते हुए आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 मई 2024 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 19 की पालना सुनिश्चित करते हुए मूल वाद का न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर